न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2012 जिला–शिवपुरी

R 3214-I/12

1– नथुआ पुत्र मिठुआ बराहर

2– देवी पुत्र डब्बू बराहर

3– किशना पुत्र डब्बू बराहर

4– वंशी पुत्र डब्बू बराहर

5– मातादीन पुत्र डब्बू बराहर

निवासीगण– ग्राम पिटसूरा तहसील व जिला दतिया (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती रज्जो पुत्री खचुआ पत्नी पन्नालाल बराहर, निवासी– ग्राम कड़ोरा लोधी तहसील करैरा, जिला–शिवपुरी (म.प्र.)

2– उदिया पुत्र बेताली बराहर

3– तुलसी पुत्र डब्बू बराहर

4– गीता पुत्री मीरा बराहर

5– रामश्री पुत्री डब्बू बराहर

6– गन्ता पुत्री डब्बू बराहर

7– कुन्दी पुत्री डब्बू बराहर

8– जनका पुत्री बेतौली बराहर

निवासीगण– ग्राम पिटसूरा तहसील व जिला दतिया (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 108/अपील/2006–2007 में पारित आदेश दिनांक 19.05.2009 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम पिटसूरा में स्थित भूमि खांता क्रमांक 17, 18 एवं 69 के भूमि स्वामी खचुआ उर्फ खचेरा पुत्र नन्ना के नाम दर्ज थी। खचुआ की मृत्यु उपरान्त पंजी क्रमांक 11 पर खचुआ को ला औलाद दर्शाकर मिठुआ, उद्दी पुत्र बेताली तथा डब्बू पुत्र नन्ना के नाम नामान्तरण दिनांक 21.04.1963 को स्वीकार किया गया था।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–3214–एक/12 जिला–दतिया

नथुआ आदि विरूद्ध श्रीमती रज्जो आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17–06–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यँह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी दतिया, जिला–दतिया के प्रकरण क्रमांक 108/अपील/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 19–05–2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर दतिया, जिला–दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 07–08–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 17/6/19	